

Order of Proceeding No. 20 के 0 गुप्त
 याचिका मजिस्ट्रेट प्रथम अर्द्धांश No. 600 3931/16
 मजिस्ट्रेट प्रथम अर्द्धांश No. 600 3931/16
 Officer

Signature of
 Parties or
 Pleaders where
 Necessary

आज आरक्षी केन्द्र जिस्ट्रेट के उपनिरीक्षक / निरीक्षक
 उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक डी. आर. 171
 को 1123 द्वारा शान्त की ओर से अपराध
 को 216/16 अंतर्गत धारा 30 प्रा. 171
 गौदरासो / अधिनियम के अधीन दण्डनीय
 अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
 पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री ए. ए. ए. ए. उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण अनुक्रम 2 30 510
324-1/16 30 510

निवासी / निवासिगण अनुक्रम 2 30 510
 शान्त जिला प्र0 राज्य म0
 उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
 श्री ए. ए. ए. ए. द्वारा गेमोरिण्डम / तकातनामा प्रस्तुत
 किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) ए0डी0पी0ओ0 के अधीन न्याय विद्वत् ज्ञान का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आगमधिक पन्नी 600 3931/16 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण ए0डी0पी0ओ0 के द्वारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र ए0डी0पी0ओ0 के संबंधीय पत्र निःशुल्क दितलिये।

अभिमान सामान्य अभिमान
अभिमान

निर्णय मागता राशिय विवरण अतः राशिय विवरण के
किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण के
धारा भादव २०२० /

अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त
को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध
करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक यथा संगत उसके
शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की
स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से दत्त
कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुदांकित कर घोषित किया गया।
अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय
अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं ५०० रुपये
के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम
की दशा में अभियुक्त को ६७ दिवस का साधारण
कारावास भुगताया जाये।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली
जाये।

जप्तसुदा संपत्ति २२२५० रुपये राजसात
विनये जायें। संपत्ति १९०० मूल्यहीन होने से नष्ट कर
व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी
को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया
जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित
अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad District Bhind (M.P.)

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि
५००/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक
क० ६८८७ रसीद क० ६७ दी गई।
अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसरण रजिस्त्र हो।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad District Bhind (M.P.)

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad District Bhind (M.P.)